

देवघर समाहरणालय  
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या ..... 925 / भू अ0

दिनांक : 11/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कोकराजोरी, थाना-देवघर, थाना सं०- 348, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर मधुपुर पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-कोकराजोरी, थाना-देवघर, थाना सं०-348, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.17 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-


क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	4	465	रैयती	बाड़ी-2	0.05	करिम मियां वो रहीम मियां पे० भुगन मियां वो रफीक मियां वो सफीक मियां पे० हमीद मियां वो हदीश मियां वो नान्दु मियां वो सलीम मियां वो जालीम मियां पे० बहादुर मियां वो रजाउल अंसारी वो आविद अंसारी वो रकीब अंसारी पे० सदीक मियां वो महमदी मियां वो इसमारील मियां पे० अनदली मियां वो सहादत मियां वो साहेब मियां अंसारी वो सहावउद्दीन अंसारी वो नेमूल अंसारी वो सफाउल अंसारी वो मुसलीम अंसारी पे० दाउद मियां पे० हवीब मियां पे० चासों मियां वो सफरुदीन मियां पे० रूसन मियां वो नाजीर मियां वो मटरू मियां वो बुधन मियां पे० मामली मियां वो रसुल मियां वो माजीद मियां पे० लटु मियां वो अब्दुल मियां पे० भुटा मियां अंश समान सा० देह।	अधिग्रहित प्लॉट का अंश	मौजा -पि छडी बाद नं० 360	मौजा I बाघा पाथर नं० 364	मौजा कोकरि याटांड नं० 349
2	9	461	रैयती	बाड़ी-2	0.17	रोदवी देवी वो देवली देवी हिमिया देवी वो छवीया देवी वो कवीया देवी पे० मोहन ततवा वो खिरो तांती वो कैलाश तांती वो लालो तांती पे० दौलत तांती वो लीलो तांती वो भागवत तांती वो रहलू तांती वो कालेश्वर तांती पे० अमीन तांती वो अनिल तांती पे० हेमलाल तांती वो दूरजोधन तांती वो जागो तांती पे० वंशी तांती अंश समान सा० देह।				
3	12	460	रैयती	बाड़ी-2	0.10	अनन्त तांती वो पीन्दु तांती वो मन्दु तांती पे० जतर तांती वो भूषण तांती पे० कोल्हो तांती वो लालू तांती वो भगवत तांती वो टहलू तांती वो कालेश्वर तांती पे० अमीन तांती वो अनिल तांती पे० हेमलाल तांती वो जोधन तांती वो जागो तांती पे० वंशी तांती वो बलराम महतो पे० रेवा महतो वो टेदू महतो पे० रामेश्वर महतो वो शंकर				

						महतो वो दूलार महतो पे० अधनू महतो वो जामन्ती देवी पे० भुलकी महतो वो गौविन्द महतो वो वकील महतो पे० नुनेश्वर महतो वो रीतुराय वो चेतन राय वो बुधन राय पे० शिवलाल राय वो भूतू राय पे० छकन राय वो हुबल राय वो नफुल राय वो खीरो राय पे० रघुनाथ राय वो नरेश महतो वो रवी यादव पे० शुकर महतो वो जलदेव महतो पे० नुनुलाल महतो वो ठाकुर महतो वो भगलू महतो वो तालो महतो पे० बुधु महतो वो गीरधारी महतो वो कार्तिक महतो वो लक्ष्मण महतो वो मुरारी महतो पे० बेदो महतो वो सहदेव महरा वो महादेव महरा पे० केटकू महरा वो सत्यनारायण महतो वो सुकदेव महतो पे० परमेश्वर महतो वो गौनवा देव्या पति झुपा राउत अंश समान सा० देह।				
4	12	453	रैयती	बाड़ी-2	0.16	तथैव।				
5	20	454	रैयती	बाड़ी-2	0.47	कार्तिक तुरी पे० सरजू तुरी वो सुदामा तुरी वो शिवलाल तुरी पे० समर मिर्धा अंश समान सा० देह।				
6	27	450	रैयती	बाड़ी-2	0.22	हरि राउत पे० एतवारी राउत वो रीखीया देवी पे० द्वारिका राउत वो महादेव राउत वो धुना राउत पे० नुनधन राउत अंश समान सा० देह।				
कुल रकवा-					1.17					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
 8/12/17  
 समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
 देवघर।

ज्ञापांक 925 / भू अ0, देवघर, दिनांक 11/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



8/12/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।